

न्यायालय:- अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड मध्य प्रदेश

(समक्ष:-डी०सी० थपलियाल)

प्र०क० 07 / 2016 अ०दी०

संस्थापित दिनांक 12.04.2016

बृजमोहन उर्फ पप्पू पुत्र नाथूराम, उम्र 45 वर्ष,  
निवासी ग्राम जारेट, परगना गोहद, जिला भिण्ड  
म०प्र०

अपीलार्थी / प्रतिवादी

### **बनाम**

1. ऊषा देवी पुत्री नाथूराम, पत्नी बालीराम, उम्र 43 वर्ष, जाति बाडई, निवासी ग्राम उझावल, परगना गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०
2. किशोर पुत्र महीपाल, जाति राजपूत, निवासी ग्राम जारेट, परगना गोहद, जिला भिण्ड म.प्र.
3. ठकुरी पुत्र हरप्रसाद, जाति बाडई निवासी ग्राम जारेट, परगना गोहद जिला भिण्ड म.प्र.
4. तुलाराम पुत्र मनोहर, जाति कुशवाह, निवासी ग्राम देहगंवा, परगना गोहद, जिला भिण्ड म.प्र.
5. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर भिण्ड म.प्र.

प्रतिअपीलार्थीगण

अपीलार्थी द्वारा श्री कमलेश शर्मा अधिवक्ता ।

प्रत्यर्थी क्रमांक 1 द्वारा श्री एस.एस. श्रीवास्तव अधिवक्ता ।

प्रत्यर्थी क्रमांक 2, 3, 4 द्वारा श्री राधामोहन शर्मा अधिवक्ता ।

प्रत्यर्थी क्रमांक 5 पूर्व से एक पक्षीय ।

// निर्णय //

(आज दिनांक 17-2-17 को घोषित किया गया)

01. अपीलार्थी/प्रतिवादी के द्वारा वर्तमान अपील व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 गोहद,

पीठासीन अधिकारी सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी के द्वारा व्यवहारवाद क्रमांक 13ए/2015 ई0दी0 ऊषा देवी बनाम बृजमोहन में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.03.2016 से व्यथित होकर पेश की है, जिसमें अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा वादिया की ओर से प्रस्तुत दावे को स्वीकार करते हुए दावा डिक्री किया गया है। प्रकरण में सुविधा की दृष्टि से आगे के पदों में अपीलार्थी को प्रतिवादी क्रमांक 1 के रूप में तथा प्रतिअपीलार्थी क्रमांक1 को वादिया के रूप में संबोधित किया जाएगा।

02. यह अविवादित है कि वादिया एवं प्रतिवादी क्रमांक1 भाई बहन होकर नाथूराम की संतान हैं। यह भी अविवादित है कि नाथूराम की मृत्यु वर्ष 2003 में हो चुकी है। वादग्रस्त भूमि खसरा क्रमांक 108 रकवा 0.08 हे0, खसरा क्रमांक 148 रकवा 0.73 हे0, खसरा क्रमांक 115/610 रकवा 0.13 हे0 कुल रकवा 0.94 हे0 ग्राम देहगंवा परगना गोहद में स्थित है जो कि वादिया एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 के पिता नाथूराम के भू-स्वामित्व एवं आधिपत्य की होनी भी अविवादित है। यह भी अविवादित है कि विवादित मकान, गौंडा जो कि दावे के साथ संलग्न नक्शे में दर्शाया गया है वह ग्राम जारेट में स्थित है।

03. अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष वादिया का दावा संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि ग्राम देहगंवा परगना गोहद स्थित भूमि खसरा क्रमांक 108 रकवा 0.08 हे0, खसरा क्रमांक 148 रकवा 0.73 हे0, खसरा क्रमांक 115/610 रकवा 0.13 हे0 कुल रकवा 0.94 हे0 अर्थात् 04 बीघा 14 विश्वा नाथूराम पुत्र हरप्रसाद के स्वामित्व आधिपत्य की थी। नाथूराम वादिया एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 के पिता थे, जिनकी कि सन् 2003 में मृत्यु हो चुकी है, उनके वारिसों में वादिया एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 ही है। स्वर्गीय नाथूराम के द्वारा अपने जीवनकाल में सर्वे क्रमांक 148 जसका कि रकवा 0.93 हे0 था में से रकवा 0.20 का बिक्रय बृजमोहन को कर दिया गया था। इस प्रकार उक्त सर्वे नम्बर का 0.73 रकवा शेष रहा। इसके अतिरिक्त वादिया के पिता नाथूराम के स्वत्व एवं आधिपत्य का एक मकान व दो गौंडा जिसे कि दावे के साथ संलग्न नक्शे में वादिया अपने हिस्सा 1/2 भाग को लाल स्याही से अ,ब,स,द के रूप में अंकित किया गया है तथा गौंडा जिसे क,ख,ग,घ के रूप में अंकित किया गया है। उक्त भूमियाँ, मकान व गौंडा नाथूराम के स्वत्व आधिपत्य की थी जिनकी कि सन् 2003 में मृत्यु हो गई। नाथूराम के वारिसों में मात्र वादिया एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 ही वर्तमान में मौजूद है। नाथूराम की मृत्यु होने के पश्चात् प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा पटवारी मौजा एवं ग्राम पंचायत अधियारी खुर्द से मिलकर दिनांक 15.09.2003 को नाथूराम के वारिसों के रूप में वादिया को छिपाते हुए एवं गलत पंचनामा बनाकर कर गलत रूप से अपना नामांतरण करवा लिया है जो कि वादिया के मुकाबले प्रभावहीन है। वादिया जो कि अनपढ़ महिला है उसे उक्त नामांतरण के संबंध में कोई भी सूचना नहीं दी गई और न ही उसे कोई सुनवाई का अवसर दिया गया

था। नामांतरण होने के पश्चात् प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा गुप्त रूप से सर्वे क्रमांक 148 मिन रकवा 0.40 का अवैध रूप से बिक्रयपत्र प्रतिवादी क्रमांक 3 तुलाराम के हक में सम्पादित कर दिया है जिसके आधार पर प्रतिवादी क्रमांक 3 ने उक्त भूमि पर अपना नामांतरण राजस्व अभिलेखों में करा लिया गया है, जबकि उक्त बिक्रयपत्र एवं नामांतरण वादिया के स्वत्व के विपरीत होने से शून्य है।

04. वादिया ने अपने दावे में आगे यह भी बताया है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने गलत रूप से दोनों गौंडा पर अवैध रूप से प्रतिवादी क्रमांक 2 किशोर का वर्ष 2009 में आधिपत्य करा दिया है, जबकि उसे वादिया के गौंडे के भाग पर प्रतिवादी क्रमांक 2 को आधिपत्य कराने का कोई अधिकार प्राप्त न था। इसी प्रकार प्रतिवादी क्रमांक 1 ने प्रतिवादी क्रमांक 4 ठकुरी को अ,ब,स,द भाग पर आधिपत्य करा दिया है, जिसने कि उस भाग को अपने मकान में मिला लिया है। उक्त कब्जा अवैध रूप से किया गया है। वादिया कब्जा बापस प्राप्त करने की अधिकारिणी है, क्योंकि प्रतिवादी क्रमांक 1 को वादिया के 1/2 भाग का बिक्रयपत्र कराने का कोई अधिकार नहीं था। प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा उक्त बिक्रय के पश्चात् सर्वे क्रमांक 148 का रकवा 0.33 शेष है, जिस पर कि वादिया का स्वत्व एवं आधिपत्य है और सर्वे क्रमांक 115/610 रकवा 0.13 की भी वादिया भूस्वामिनी है और उसका ही उस पर एक मात्र आधिपत्य चला आ रहा है। वादग्रस्त गौंडा एवं मकान में वादिया एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 का शामिलाली कब्जा था जो कि पांच वर्ष पूर्व रिस्तेदारों और पंचों के माध्यम से उक्त वादग्रस्त मकान, गौंडा व कृषि भूमियों का बटवारा हो गया था, जिसके अनुसार वादिया को उपरोक्त कृषि भूमियाँ तथा मकान जो कि दावे के साथ संलग्न नक्शे में अ,ब,स,द से दर्शाया गया है भाग और गौंडा जो कि क,ख,ग,घ के रूप में दर्शाया गया है मिला था। प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा सर्वे क्रमांक 148 में अपने भाग को बिक्रय कर दिया गया है। इस प्रकार उक्त सर्वे नम्बर पर प्रतिवादी क्रमांक 1 का कोई अधिकार शेष नहीं है। प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा दिनांक 20.05.2013 को उस पर उसके नामांतरण के बारे में बताया गया था तथा गौंडा और मकान पर प्रतिवादी क्रमांक 2 व 4 के कब्जे के बारे में बताया गया, तब वादिया ने खसरा की नकलें प्राप्त की और उसे इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई थी। वादिनी को वादग्रस्त भूमियाँ 148 रकवा 0.33, सर्वे क्रमांक 115/610 रकवा 0.13 तथा विवादित मकान में अ,ब,स,द भाग पर और गौंडा में क,ख,ग,घ भाग की स्वामिनी और आधिपत्यधारिणी घोषित किये जाने और बैकल्पिक रूप से प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 3 के पक्ष में किए गए बिक्रयपत्र को अवैध एवं शून्य घोषित कराकर सभी विवादित भूमि व मकान में 1/2 भाग पर स्वत्व एवं आधिपत्य घोषित करने तथा विवादित मकान व गौंडा में आधिपत्य व नुकसानी उसे दिलाए जाने की सहायता चाही गई है।

05. वादिया के दावे का विरोध करते हुए प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के द्वारा संयुक्त जबावदावा पेश किया गया है और उसमें स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त वादिया के शेष अभिकथन को अस्वीकार करते हुए यह बताया गया है कि वादग्रस्त कृषि भूमियाँ, गौंड़ा व मकान में वादिया को कोई स्वत्व व आधिपत्य नहीं है। उनके अनुसार नाथूराम के स्वामित्व का एक मकान एवं एक गौंड़ा है, जिस पर प्रतिवादी क्रमांक 1 का आधिपत्य है। दूसरा गौंड़ा नाथूराम का न होकर नाथूराम के भाई प्रतिवादी क्रमांक 4 ठकुरी का है, उस पर ठकुरी का ही कब्जा वर्तव है। उक्त गौंड़ा व मकान एवं कृषि भूमियों पर वादिया का कोई भी आधिपत्य नहीं है। उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि वादिया की शादी के समय मृतक नाथूराम के ऊपर काफी कर्जा हो गया था उसे पटाने के लिए नाथूराम ने जमीन व मकान को बिक्रय किया था जिसकी पूर्ण जानकारी वादिया को है। प्रतिवादी क्रमांक 1 का नामांतरण वादिया की जानकारी में पंचों के समक्ष उसकी सहमति के आधार पर हुआ था और इस संबंध में पंचनामा बनाया गया था और उसी समय से उसे नामांतरण की जानकारी थी। मकान व गौंड़ा पर प्रतिवादी क्रमांक 2 के द्वारा अपने हिस्से को ले लिया गया है, शेष भाग प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वर्ष 2003 में ज्ञानसिंह को बिक्रय किया था और ज्ञानसिंह से प्रतिवादी क्रमांक 4 ठकुरी ने उसे ले लिया है और गौंड़ा का हिस्सा प्रतिवादी क्रमांक 2 किशोर को बिक्रय किया था जिसका कि उस पर कब्जा है। प्रतिवादी क्रमांक 1 दिल्ली में रहता है, वादी एवं प्रतिवादी के मध्य कभी कोई बटवारा नहीं हुआ था, असत्य आधारों पर दावा पेश किया गया जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

06. प्रतिवादी क्रमांक 3 के द्वारा भी वादिया के दावे के अभिवचनों को अस्वीकार करते हुए विवादित मकान व गौंड़ा का आधा भाग प्रतिवादी क्रमांक 4 ठकुरी का होना एवं विवादित भूमियों को वादिया की सहमति के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक 1 का नामांतरण होना बताया है। प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा अपने स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि उसे विधिवत रजिस्टर्ड बिक्रयपत्र से बिक्रय की गई थी और उसका उस पर नामांतरण हुआ है। वादिया को इस संबंध में जानकारी थी, इसके उपरांत उसके द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है। विवादित मकान व गौंड़ा पर भी वादिया का कोई स्वत्व व आधिपत्य निहित नहीं है। दावा निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

07. अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर वाद बिन्दुओं की विरचना की गई है और उन पर निष्कर्ष निकालते हुए वादग्रस्त भूमि, मकान व गौंड़ा के 1/2 भागों पर वादिया का स्वत्व निहित होना पाते हुए गौंड़ा व मकान के 1/2 भाग का रिक्त आधिपत्य वादिया को प्राप्त करने का अधिकार होना पाया गया है।

08. अपीलार्थी/प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा वर्तमान अपील मुख्य रूप से इन

आधारों पर पेश की गई है कि विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री वैधानिक प्रावधानों के विपरीत है। विचारण न्यायालय के द्वारा उसके समक्ष आई हुई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पर सही रूप से विचार व विवेचन न करते हुए मनमाने तौर से निष्कर्ष निकाला गया है। वादिया एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 के मध्य कोई भी बटवारा होना प्रमाणित नहीं है और इस आधार पर उसका कोई कब्जा भी विवादित भूमि पर नहीं है और इस संबंध में विचारण न्यायालय के द्वारा निकाला गया निष्कर्ष उचित नहीं है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन 2005 में हुआ है, जबकि नाथूराम की मृत्यु उसके पूर्व हो चुकी है। ऐसी दशा में वादिया को मृतक नाथूराम की सम्पत्ति पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, फिर भी विचारण न्यायालय के द्वारा उसे 1/2 भाग का भूस्वामी आधिपत्यधारी घोषित किया गया है। विवादित मकान व गौंडे पर स्वत्व एवं आधिपत्य के संबंध में विचारण न्यायालय के द्वारा सही रूप से निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। ऐसी दशा में विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है, उसे अपास्त किया जाए।

09. वादिया के द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री को उचित रूप से पारित किया जाना बताते हुए उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप या फेरबदल करने का आधार या कारण न होना बताते हुए अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

10. अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील के संबंध में लिए गए अन्य आधारों के संबंध में मुख्य रूप से विचारणीय है कि—

1. क्या विवादित कृषि भूमियों एवं मकान व गौंडा के 1/2 भाग पर स्वत्व व आधिपत्य निहित है?
2. क्या वादिया विवादित बताई गई भूमि, मकान व गौंडा में 1/2 भाग की स्वामिनी होने से उन पर आधिपत्य प्राप्त करने की अधिकारिणी है?
3. क्या अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.03.2016 में हस्तक्षेप किये जाने हेतु कोई न्यायसंगत आधार है?

—:विचारणीय बिन्दुओं पर निष्कर्ष के आधार:—

बिन्दु क्रमांक 1 लगायत 2 :-

11. वादिया रुषा देवी जो कि वादग्रस्त कृषि भूमि, मकान व गौंडा में 1/2 भाग में अपना स्वत्व निहित होना अभिकथित की है, के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि वादग्रस्त कृषि भूमियाँ एवं मकान व गौंडा जो कि ग्राम जारेट तहसील गोहद में स्थित है, वह पूर्व में उसके पिता नाथूराम के स्वामित्व एवं आधिपत्य के थे। नाथूराम की मृत्यु होने के कारण

उनकी पुत्री होने के नाते वह उनकी वारिस है और उसे वादग्रस्त भूमि मकान व दोनों गौडा में 1/2 भाग प्राप्त करने का अधिकार है। वादिया के द्वारा यह भी बताया गया है कि उसके पिता नाथूराम की मृत्यु करीब 11 साल पहले हो गई थी और उनके वारिसों में मात्र वह एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 बृजमोहन है, अन्य कोई वारिस नहीं है। नाथूराम की मृत्यु के पश्चात् प्रतिवादी क्रमांक 1 बृजमोहन ने उसे छिपाते हुए खेती की जमीन पर गलत तौर से अपना नामांतरण करा लिया है, जबकि उसके द्वारा नामांतरण की कोई सहमति नहीं दी गई थी, जबकि बृजमोहन को यह जानकारी थी कि उसकी बहन मौजूद है, फिर भी उसके द्वारा गलत रूप से अपने नाम पर नामांतरण करा लिया और सुनवाई का कोई अवसर भी नहीं दिया गया। वह अनपढ़ महिला है, उसे कोई सूचना भी नामांतरण के संबंध में नहीं दी गई है। नामांतरण के विरुद्ध उसके द्वारा एस.डी.ओ. गोहद के यहाँ अपील पेश की गई। प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा उक्त जमीन में से बड़े खेत 3 बीघा 13 विश्वा में से 2 बीघा प्रतिवादी तुलाराम को गलत रूप से बिक्रय कर दी गई है, जबकि उस भूमि के 1/2 भाग पर उसका हक व हिस्सा है। तुलाराम के द्वारा अपना नामांतरण करा लिया गया है जो कि अवैध है। वादिया के द्वारा यह अभिकथन भी किया है कि उसके एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 का 6 वर्ष पूर्व जेठ शुदी पूर्णिमा के दिन पंचों व रिस्तेदारों के समक्ष बटवारा भी हुआ था जिसमें कि कृषि भूमियों एवं मकान व गौडा का बटवारा किया गया और उसको कब्जा प्राप्त हुआ था, उसके एक साल बाद उसके गौडा पर किशोर ने और मकान के भाग में ठकुरी ने जबरन कब्जा कर अपना मकान बना लिया है, जिससे उसे नुकसानी भी हो रही है। वादिया के द्वारा खतौनी सम्बत् 2059 की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी. 3, खतौनी वर्ष 2012-13 की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी. 4, खसरा वर्ष 2012-13 की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी. 5 पेश की गई है।

12. वादिया की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी साहबसिंह वा0सा0 2 जो कि ग्राम जारेट का रहने वाला है और नाथूराम का पड़ोसी है के द्वारा भी अपने साक्ष्य कथन में ग्राम जारेट में नाथूराम के स्वत्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमियाँ, मकान व गौडा होना और नाथूराम की मृत्यु करीब 11 साल पहले वर्ष 2003 में होना, उनके वारिसों में वादिया ऊषादेवी और प्रतिवादी क्रमांक 1 बृजमोहन के मौजूद होना बताया है। उक्त साक्षी बृजमोहन और ऊषादेवी के मध्य बटवारा होना एवं उस समय उसके मौजूद होना और बटवारा के अनुसार कृषि भूमि, मकान व गौडा के आधे भागों पर वादिया का कब्जा होना बताया है और साक्षी के द्वारा यह भी बताया गया है कि ऊषादेवी के गौडा पर किशोर के द्वारा और मकान पर ठकुरी के द्वारा जबरन नाजायज कब्जा कर लिया है। ऊषादेवी की जमीनों पर उसके द्वारा बटवारे के बाद बटाई से खेती की जाना बताया है। वादिया की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी रमेशसिंह वा0सा0 3 भी नाथूराम के वारिसों में ऊषादेवी एवं बृजमोहन के मौजूद होना बताया है। इसके अतिरिक्त

उक्त साक्षी ऊषादेवी और बृजमोहन के मध्य जमीन, मकान व गौडा के बटवारे के समय मौजूद होना और उनका आपसी बटवारा होना बताया है, जिसमें कि उन्हें अलग अलग हिस्सा मिलकर काबिज होना बताया है। साक्षी के अनुसार उसके एक साल बाद ऊषादेवी के गौडा में किशोर ने और मकान पर ठकुरी ने जबरन कब्जा कर लिया है।

13. प्रतिवादी क्रमांक 1 बृजमोहन वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 108 रकवा 0.08, सर्वे क्रमांक 148 रकवा 0.93 के मिन रकवा 0.33 तथा सर्वे क्रमांक 115/610 के रकवा 0.13 पर उसका भूस्वामी अधिकार एवं आधिपत्य होना और उसके ऊपर खेती होना बताया है। प्रतिवादी के द्वारा यह भी बताया गया है कि वादिया करीब 25 वर्षों से अपनी ससुराल जो कि उसके गांव से 20 किलो मीटर दूर स्थित है रह रही है, उसका विवादित भूमि, मकान व गौडा से कोई संबंध सरोकार नहीं है। नाथूराम की मृत्यु के बाद वादिया ने पंचों के समक्ष उपस्थित होकर विवादित जमीन, मकान व गौडा में कोई हिस्सा न लेना बताया था और इस आधार पर उसका नामांतरण हो गया था। वादिया की शादी के समय तथा उसके बाद पिता की मृत्यु होने पर तैरवी कृत्याकर्म आदि का काफी कर्जा हो गया था जिसे पटाने के लिए जमीन, मकान व गौडा का बिक्रय उसने किया है। वादिया और उसके मध्य कभी भी कोई बटवारा नहीं हुआ और न ही बटवारे के संबंध में कोई पंचायत हुई।

14. प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी सोवरनसिंह प्र०सा० 2 के द्वारा यह बताया गया है कि नाथूराम की मृत्यु के पश्चात् विवादित भूमियों पर प्रतिवादी बृजमोहन काबिज होना और उसका नामांतरण वादिया की सहमति के आधार पर कि वह पिता की जायदाद में हिस्सा नहीं चाहती है हुआ था। वादिया की शादी के समय कर्जा एवं नाथूराम की मृत्यु के पश्चात् तैरवी आदि का खर्चा बृजमोहन के द्वारा किया गया था और इस कारण बृजमोहन ने कुछ जमीन व गौडा, मकान का बिक्रय किया था जो कि गौडा पर किशोर का और मकान पर ठकुरी का कब्जा है। वादिया का उस पर कोई कब्जा नहीं है। वादिया एवं प्रतिवादी के मध्य कोई बटवारा भी नहीं हुआ है।

15. प्रतिवादी साक्षी तुलाराम प्र०सा० 3 भी नाथूराम की मृत्यु के पश्चात् वादिया की सहमति से प्रतिवादी क्रमांक 1 बृजमोहन का नामांतरण भूमियों पर होना और वादिया की शादी का कर्जा जो कि नाथूराम पर था उसे पटाने के लिए जमीन व मकान प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा बिक्रय की गई थी और इसी क्रम में प्रतिवादी क्रमांक 1 से उसने 2 बीघा जमीन का वयनामा करवा लिया था जो कि वयनामा के पश्चात् मौके पर उसका कब्जा है और उसका नामांतरण भी उस पर हो चुका है। वादिया एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 के मध्य कोई बटवारा नहीं हुआ था।

16. प्रतिवादी क्रमांक 1/अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपने तर्क में व्यक्त किया कि

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 (2005 के अधिनियम द्वारा संशोधन) का भूत लक्ष्य प्रभाव नहीं है। वादग्रस्त सम्पत्ति नाथूराम की स्वअर्जित सम्पत्ति नहीं है वह उनकी सहदायिगी की सम्पत्ति है। नाथूराम की मृत्यु सन् 2003 में हो चुकी है। ऐसी दशा में वादिया जो कि सहदायिगी की सदस्य नहीं है उसको वादग्रस्त भूमियों पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। इस संबंध में उनके द्वारा **2015(4) एस.सी.सी.डी. 2199(एस.सी.) प्रकाश आदि वि० फूलवती एवं अन्य** पेश किया गया है।

17. उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। सर्वप्रथम यह उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त भूमि, मकान व गौंडा नाथूराम के स्वत्व आधिपत्य की होना अविवादित है। उक्त सम्पत्ति सहदायिगी की सम्पत्ति हो इस आशय का कोई भी अभिवचन प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि विवादित कृषि भूमियाँ नाथूराम के स्वत्व एवं आधिपत्य की होना खतौनी प्र.पी. 3 से स्पष्ट है। ऐसी दशा में जबकि प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा कहीं भी विवादित कृषि भूमियाँ व अन्य सम्पत्तियों को उसकी सहदायिगी की सम्पत्ति होने के संबंध में कोई अभिवचन नहीं किया है। इस संबंध में उसके द्वारा कोई भी साक्ष्य पेश भी नहीं किया गया है। मात्र प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा अपने तर्क में उक्त आधार लिए जाने के परिप्रेक्ष्य में सम्पत्ति का स्वरूप सहदायिगी की सम्पत्ति का होना नहीं माना जा सकता है। विवादित कृषि भूमि एवं मकान जो कि नाथूराम के स्वत्व एवं आधिपत्य का होना स्पष्ट होता है, उसकी प्रकृति उसके स्वअर्जित सम्पत्ति के प्रकार की होनी पाई जाती है। इस बिन्दु पर प्रतिवादी क्रमांक 1/अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के आधार पर वर्तमान प्रकरण में लागू करते हुए अपीलार्थी को कोई लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है।

18. यह अविवादित है कि वादग्रस्त भूमियाँ नाथूराम के स्वत्व एवं आधिपत्य की थी। यह भी अविवादित है कि वादिया नाथूराम की पुत्री है तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 नाथूराम का पुत्र है। उक्त वारिसों के अलावा नाथूराम का अन्य कोई वारिस नहीं है। नाथूराम की मृत्यु वर्ष 2003 में हो चुकी है। इसप्रकार नाथूराम के वारिसों में उसके पुत्र प्रतिवादी क्रमांक 1 बृजमोहन एवं पुत्री ऊषा देवी होना स्पष्ट है। पक्षकार हिन्दू है, नाथूराम के द्वारा अपने जीवनकाल में कोई भी वसीयत लिखी गई हो अथवा वसीयत अंतरण अपनी भूमियों का किया गया हो ऐसा कहीं भी दर्शित नहीं है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार निर्वसीयत रूप से किसी हिन्दू की मृत्यु होने पर उसकी सम्पत्ति सर्वप्रथम क्लास 1 के वारिसों को प्राप्त होगा। उक्त उक्त अधिनियम के शेड्यूल के अनुसार पुत्र एवं पुत्री क्लास 1 के वारिस है। इस प्रकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वादिया एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 दोनों ही मृतक नाथूराम के प्रथम श्रेणी के वारिस होने के कारण उसकी सम्पत्ति पर  $1/2 - 1/2$  भाग प्राप्त करेंगे।



19. प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा यह भी आधार लिया गया है कि वादिया के द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपने हक को त्याग कर दिया गया था और उसके द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में नामांतरण करने पर अपनी सहमति दी गई थी। उक्त संबंध में यह उल्लेखनीय है कि वादिया के द्वारा अपना हक त्याग किया गया है ऐसा कोई भी दस्तावेजी प्रमाण मौजूद नहीं है, जबकि हक त्याग हेतु दस्तावेज निष्पादित किया जाना अपेक्षित है। वादिया के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 के नामांतरण कराने पर किसी प्रकार की सहमति दी गई हो ऐसा भी कहीं प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित नहीं होता है। उक्त नामांतरण के संबंध में वादिया को किसी प्रकार से कोई सूचनापत्र दिया गया हो या उसे सुना गया हो ऐसा भी नहीं पाया जाता है। इस प्रकार प्रतिवादी क्रमांक 1 का विवादित कृषि भूमियों पर जो नामांतरण हुआ है वह वादिया को कोई सूचना दिए बिना होना स्पष्ट होता है। नामांतरण में वादिया की कोई सहमति हो ऐसा भी प्रमाणित नहीं है।

20. नामांतरण का जहाँ तक प्रश्न है, मात्र राजस्व अभिलेखों में किसी व्यक्ति का नामांतरण होने के आधार पर उसका स्वत्व या आधिपत्य निहित होने के संबंध में कोई अनुमान भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राजस्व अभिलेखों में नामांतरण किसी प्रकार के हक का सृजन नहीं करता है और उनका प्रयोजन केवल भू-राजस्व एकत्रित करने के प्रयोजन के लिए मान्य होता है। इस बिन्दु पर **2015(3) एस०.सी.सी.डी. 1149 (एस.सी.) एच.लक्ष्मय्या रेड्डी एवं अन्य वि० एल.वेंकटेश रेड्डी** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अवधारित किया गया है कि नामांतरण के आधार पर राजस्व अभिलेखों में नामांतरण की कार्यवाही एवं आधार पर राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज होने से स्वत्व या आधिपत्य प्राप्त होने का अथवा किसी के हक समाप्त होने का कोई साक्ष्य नहीं हो सकता है। राजस्व अभिलेखों में नामांतरण की कार्यवाही और उसके आधार पर प्रविष्टि केवल भू-राजस्व के संग्रह के लिए सुसंगत होती है। इस बिन्दु पर **श्रीमती दक्खोबाई बगैरह वि० केशरीचंद 1992 जे.एल. जे. 10** में माननीय न्यायालय के द्वारा यह अवधारित किया गया है कि राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि केवल पेंसिल इंट्री होती है इसके आधार पर किसी व्यक्ति को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। इस प्रकार राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि के आधार पर किसी व्यक्ति के पक्ष में स्वत्व की कोई उपधारणा नहीं की जा सकती है।

21. ऐसी दशा में यदि वादग्रस्त कृषि भूमियों पर नाथूराम के उपरांत प्रतिवादी क्रमांक 1 के नाम पर नामांतरण स्वीकार किया गया है तो मात्र इस आधार पर प्रतिवादी क्रमांक 1 को सम्पूर्ण भूमि पर स्वत्व एवं आधिपत्य प्राप्त नहीं हो जाता है और मात्र उक्त नामांतरण के आधार पर वादिया का स्वत्व प्रभावित भी नहीं होगा। इस संबंध में यद्यपि प्रकरण में आई हुई साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 बृजमोहन के द्वारा सर्वे क्रमांक 148

में रकवा 0.40 हे0 भूमि प्रतिवादी क्रमांक 3 तुलाराम को रजिस्टर्ड बिक्रयपत्र के द्वारा बिक्रय कर दी गई है और उस पर तुलाराम का नामांतरण भी हुआ है। उपरोक्त संबंध में प्रतिवादी बृजमोहन प्रतिपरीक्षण कंडिका 10 में इस बात को स्वीकार किया है कि उसने सर्वे क्रमांक 148 में 2 बीघा भूमि बैच दी है और अब उस पर ऊषादेवी का भाग बचा हुआ है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा सर्वे क्रमांक 148 में 0.40 हे0 भूमि जो कि प्रतिवादी क्रमांक 3 तुलाराम को बिक्रय की गई। इस संबंध में प्रतिवादी क्रमांक 1 को प्राप्त होने वाले भू-भाग में से उक्त रकवा कम होना माना जाएगा। चूंकि उक्त बिक्रयपत्र पंजीकृत है जो कि प्रतिफल देकर प्रतिवादी क्रमांक 3 के द्वारा प्राप्त किया गया है और वह सद्भावित क्रेता होना स्पष्ट होता है। ऐसी दशा में बिक्रयपत्र निरस्त किया जाना उचित नहीं है, किन्तु इस संबंध में प्रतिवादी क्रमांक 1 को प्राप्त होने वाले हिस्से में उक्त 0.40 हे0 भूमि कम मानी जाएगी, जैसा कि इस संबंध में विचारण न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय की कंडिका 2 में स्पष्ट किया है।

22. विवादित भूमियों के अतिरिक्त नाथूराम के स्वत्व एवं आधिपत्य का एक मकान एवं दो गौडा ग्राम जारेट में स्थित होना वादिया के द्वारा बताया है और उक्त मकान व गौडा में उसके 1/2 भाग पर स्वत्व एवं आधिपत्य निहित होना उसके द्वारा बताया गया है। वादिया के द्वारा अपने अभिवचन में यह बताया गया है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने मकान एवं गौडा पर अवैधानिक रूप से किशोर एवं ठकुरी का कब्जा करा दिया है। इस बिन्दु पर वादिया ऊषा देवी ने अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि गौडा पर किशोर के द्वारा तथा उसके मकान के भाग पर ठकुरी ने जबरन कब्जा कर के अपने मकान में मिला लिया है और इस संबंध में उसके द्वारा गांव में जाकर देखने पर किशोर एवं ठकुरी को पूछने पर उन्होंने बताया कि बृजमोहन ने उन्हें कब्जा करा दिया है। प्रतिपरीक्षण में वादिया स्पष्ट की है कि नाथूराम एवं ठकुरी दोनों सगे भाई हैं जो कि ठकुरी उसका चाचा होकर गांव जारेट में रहता है। नाथूराम एवं ठकुरी का एक ही मकान था जिसमें कि बीच में बटान हो गया था जो कि कई सालों से अलग अलग रह रहे हैं। इस प्रकार वादिया के पिता का मकान और चाचा ठकुरी का मकान अलग-अलग हिस्सा होना स्पष्ट होता है।

23. उपरोक्त संबंध में यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी बृजमोहन के द्वारा भी प्रतिपरीक्षण कंडिका 7 में इस बात को स्वीकार किया है कि जितना मकान नाथूराम का बना है, उतना ही ठकुरी का बराबर बराबर भाग बना है और इस बात को भी स्वीकार किया है कि नाथूराम अपने मकान के मालिक थे और ठकुरी अपने मकान के मालिक थे और इस बात को भी स्वीकार किया है कि दोनों भाई अलग अलग रहते हैं। यद्यपि साक्षी यह बता रहा है नाथूराम ने अपना मकान कर्ज में ज्ञानसिंह को बैच दिया था, ज्ञानसिंह को बैचने का कोई वयनामा नहीं हुआ था केवल पंचनामा बनाया गया था जो कि 20,000/- रुपए में बैचा गया

था और उक्त मकान ज्ञानसिंह ने ठकुरी से ले लिया था जिसका भी कोई वयनामा नहीं हुआ है। ज्ञानसिंह ने 4-5 साल पहले ठकुरी से उसे लिया है और इस बात को भी स्वीकार किया है कि विवादित मकान का आधा भाग ठकुरी ने अपने मकान में मिला लिया है और आधार चंदन ने अपने में मिला लिया है और ऊषा का भाग ठकुरी ने अपने में मिला लिया है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि नाथूराम के द्वारा अपना मकान कथित रूप से ज्ञानसिंह नाम के व्यक्ति को बिक्रय करने के संबंध में कोई भी दस्तावेजी प्रमाण मौजूद नहीं है एवं उक्त मकान ज्ञानसिंह के द्वारा ठकुरी को बेचे जाने के संबंध में भी कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है। इस संबंध में न तो ज्ञानसिंह के कथन कराए गए हैं और न ही ठकुरी के कोई कथन हुए हैं। ऐसी दशा में मात्र प्रतिवादी क्रमांक 1 के कथन के आधार पर नाथूराम के द्वारा अपने मकान का हिस्सा ज्ञानसिंह को बिक्रय कर दिया गया था और ज्ञानसिंह से ठकुरी ने उस हिस्से को क्रय कर लिया गया था मान्य नहीं किया जा सकता है। प्रकरण में आई हुई साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि नाथूराम के हिस्से का मकान था और उक्त मकान का अंतरण नाथूराम के द्वारा अपने जीवनकाल में किसी दूसरे को किया गया हो ऐसा कहीं भी प्रमाणित नहीं है, नाथूराम की मृत्यु के पश्चात् मकान का आधा आधा हिस्सा उसके वारिस वादिया एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 प्राप्त करेंगे।

24. जहाँ तक विवादित बताए गए दो गौड़ों का प्रश्न है, प्रतिवादी बृजमोहन के द्वारा कंडिका 8 में स्वीकार किया है कि उसके पिता के पास दो गौड़ा थे और इस बात को स्वीकार किया है कि एक गौड़ा चंदन के बगल से और दूसरा गौड़ा उनके मकान के सामने था, जिसमें से एक गौड़ा उन्होंने ठकुरी को और एक किशोर को दे दिया है। उक्त गौड़ों का कोई वयनामा नहीं किया है उन्हें घरोगा में वैसे ही दे दिया है और इसी प्रकार वादी साक्षी सोवरनसिंह भी गौड़ा व मकान का कोई बिक्रय न होना बताते हुए घरोगा के आधार पर उन्हें देना बता रहा है। यह उल्लेखनीय है कि उक्त गौड़ा जो कि नाथूराम के थे उन पर ठकुरी एवं किशोर को उनका स्वत्व किसी प्रकार से अंतरित हुआ हो ऐसा कहीं प्रमाणित नहीं है और न ही इस संबंध में उनकी कोई साक्ष्य हुई है। निश्चित तौर से नाथूराम की सम्पत्ति पर वादिया का 1/2 भाग पर अधिकार है और उक्त गौड़ा पर भी 1/2 भाग पर उसका अधिकारी निहित होगा। उक्त गौड़ा जो कि किसी प्रकार से अंतरित प्रतिवादी क्रमांक 2 किशोर या प्रतिवादी 4 ठकुरी को किया जाना दर्शित नहीं होता है। मात्र उस पर उनके द्वारा कब्जा कर लिये जाने के आधार पर उन्हें उस पर कोई अधिकार निहित होना नहीं कहा जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में वादिया विवादित मकान एवं दोनों गौड़ा पर 1/2 भाग की अधिकारिणी है और उन पर प्रतिवादी क्रमांक 2 किशोर एवं प्रतिवादी क्रमांक 4 ठकुरी का जो आधिपत्य है वह किसी प्रकार से वैधानिक या उन्हें कोई अधिकार प्राप्त होना नहीं कहा जा

सकता है। उक्त मकान व गौडे के 1/2 भाग का रिक्त आधिपत्य वादिया बापस प्राप्त करने की अधिकारिणी पाए जाने में विचारण न्यायालय के द्वारा जो फाइंडिंग दी गई है वह भी प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के आधार पर उचित होनी पाई जाती है।

25. अपीलार्थी/प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में व्यक्त किया कि वादिया जो कि नाथूराम की पुत्री है और नाथूराम की मृत्यु के पूर्व ही उसका विवाह होकर वह अपने परिवार में चली गई थी। वादिया को नाथूराम की पैत्रिक सम्पत्तियों स्वत्व व आधिपत्य प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है।

26. उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। प्रकरण में ही भी यह नहीं आया है कि विवादित सम्पत्ति नाथूराम और प्रतिवादी क्रमांक 1 की सहदायिकी की सम्पत्तियाँ नहीं थी, बल्कि उक्त सम्पत्ति नाथूराम की स्वयं की सम्पत्ति होना स्पष्ट है। नाथूराम के द्वारा अपने जीवनकाल में अपने पुत्र प्रतिवादी क्रमांक 1 के साथ कोई बटवारा किया हो ऐसा भी कहीं नहीं आया है। ऐसी दशा में नाथूराम की मृत्यु के पश्चात् उसकी सम्पत्तियों को प्रथम वर्ग की उत्तराधिकारी होने के कारण उसका पुत्र प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं पुत्री वादिया बराबर बराबर प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। इस संबंध में अपीलार्थी के द्वारा उपरोक्त तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है। तदनुसार बिन्दु क्रमांक 1 व 2 का निराकरण कर उत्तर "हाँ" में दिया जाता है।

#### बिन्दु क्रमांक 03:-

27. उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय के द्वारा प्रकरण में आई हुई समग्र साक्ष्य को विचार में लेते हुए और इस संबंध में वैधानिक स्थिति को जो कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए साक्ष्य का उचित रूप से मूल्यांकन एवं विवेचन कर वादप्रश्नों पर निष्कर्ष निकाला गया है और इस आधार पर वादिया को वादग्रस्त भूमि, मकान व गौडा के 1/2 भाग का स्वत्वधारी होना पाते हुए विवादित मकान एवं गौडा वादिया के भाग पर प्रतिवादीगण के द्वारा अवैध रूप से आधिपत्य कर लिये जाने को दृष्टिगत रखते हुए उसके 1/2 भाग का रिक्त आधिपत्य वादिया को बापस किये जाने के संबंध में जो डिक्री पारित की गई है वह किसी प्रकार से प्रतिकूलित होनी नहीं कही जा सकती है।

28. तदनुसार विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.03.2016 की पुष्टि की जाती और इस संबंध में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत वर्तमान अपील सारहीन होने से सब्यय निरस्त की जाती है। अपीलार्थी/प्रतिवादी 1 अपने वाद व्यय के अतिरिक्त वादिया/प्रतिअपीलार्थी का वाद व्यय भी वहन करेगा, अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर या

सूची मुताबिक जो भी कम हो देय हो।  
तदनुसार आज्ञाप्ति तैयार की जाए।  
निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

(डी०सी०थपलियाल)  
अपर जिला न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(डी०सी०थपलियाल)  
अपर जिला न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड